भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2616
बुधवार, 11 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

घरेलू अंतरिक्ष उत्पाद

2616. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में भू-प्रणालियों, उपग्रह संघटकों और प्रक्षेपण यानों के लिए माल एवं सेवा कर छूट का विस्तार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र को शामिल करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का विस्तार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की समय-सीमा और प्रमुख घटक क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने कृषि, आपदा प्रबंधन और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) सरकार घरेलू पार्टियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'उपग्रह प्रमोचन सेवाओं' और 'संचार संपत्तियों [अंतरिक्ष यान (उपग्रहों सहित)] के हस्तांतरण पर' वस्तु एवं सेवा (जीएसटी) कर में छूट प्रदान करती है। उद्योग द्वारा विभिन्न बैठकों/मंचों में प्रमोचन यानों /उपग्रहों के घटकों, भू-प्रणालियों के लिए जीएसटी छूट की मांग की गई है। हालाँकि, उद्योग की ओर से मांगी गई छूट की प्रकृति/दायरे का विवरण देते हुए औपचारिक प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

(ख) अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव योजना के स्थान पर एक 'निवेश प्रोत्साहन योजना' बनाई गई है।

(ग) जी, हां। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु इन-स्पेस ने एक बीज निधि योजना तैयार की और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में उत्पाद और सेवाएँ विकसित करने के लिए छह भारतीय स्टार्ट-अप्स को अनुदान प्रदान किया। ये स्टार्ट-अप्स हैं- मेसर्स ARMS4AI, मेसर्स mistEO, मेसर्स ऑग्टुअल (फैब्रिक), मेसर्स हाइस्पेस, मेसर्स ज़ोवियन और मेसर्स सीगल।

***